



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270491  
CG-DL-E-26022026-270491

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 980]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

**का.आ. 1024(अ).**— राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	पदावधि के अवसान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाराष्ट्र	7	02.04.2026
2.	ओडिशा	4	
3.	तमिलनाडु	6	
4.	पश्चिमी बंगाल	5	

5.	असम	3	09.04.2026
6.	बिहार	5	
7.	छत्तीसगढ़	2	
8.	हरियाणा	2	
9.	हिमाचल प्रदेश	1	
10.	तेलंगाना	2	

[फा. सं. एच.11024/1/2026-वि.02]

अकाली वी.कोंघे, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2026

**S.O. 1024(E).**— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office: -

**TABLE**

Serial number	Name of State	No of seats to be filled	Date of expiry of term of office
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Maharashtra	7	02.04.2026
2	Odisha	4	
3	Tamil Nadu	6	
4	West Bengal	5	
5	Assam	3	09.04.2026
6	Bihar	5	
7	Chhattisgarh	2	
8	Haryana	2	
9	Himachal Pradesh	1	
10	Telangana	2	

[F. No. H.11024/1/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel